धानका जनजाति समाज समिति दिल्ली (पजिं)
ई - 505 पश्चिमी विनोद नगर, नई दिल्ली 110092

राजस्थान सरकार के 09.08.2019 के पत्र के पश्चात् धानका समाज के जाति प्रमाण पत्र में नहीं बनाये जा रहे हैं उसके सर्दभ में, पत्राचार

बाबू लाल मावर
अध्यक्ष
धानका जनजाति समाज समिति दिल्ली (पंजि)

धानका जनजाति समाज समिति दिल्ली (पजिं)

ई - 505 पश्चिमी विनोद नगर, नई दिल्ली 110091

राजस्थान सरकार के 09.08.2019 के पत्र के पश्चात् धानका समाज के जाति प्रमाण पत्र में नहीं बनाये जा रहे हैं उसके सर्दभ में, पत्राचार

जैसा कि आप सभी को मालूम है कि पिछले **05** साल से धानका समाज के जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाये जा रहे हैं जिसकि वजह से हमें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड रहा है वह हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है**.** हम सभी अपने अपने स्तर पर पत्राचार कर रहे हैं

इसी श्रृंखला में आपकी अपनी धानका जनजाति समाज समिति दिल्ली **(**पंजि**)** जून **2022** से केन्द्र सरकार में श्री अर्जुन मुडा जी मंत्री**,** जनजातीय कार्य मामला मंत्रालय**,** श्री हर्ष चौहान चैयरमैन**,** राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग**,** डा**.** विरेंद्र कुमार मंत्री**,** समाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय**,** श्री अनिल झा**,** सचिव जनजाति मंत्रालय ओर राजस्थान सरकार में श्री अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री राजस्थान**,** श्री टीका राम जूली**,** मंत्री समाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग जयपुर**,** मुख्य सचिव अनुसूचित जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग राजस्थान**,** व प्रशासन सचिव सामाजिक न्याय व अधिका रिता विभाग जयपुर के साथ लगातार पत्राचार करती आ रही है हमे सफलता भी मिल रही है**.** हमारे पत्रो के सम्बध में निम्नलिखित महत्वपूर्ण जबाब आये है**.**

(पत्र संख्या –1) **धानका जनजाति समाज समिति दिल्ली ने श्री टीका राम जूली मंत्री जी को 25 जुलाई 22 व 18 नवम्बर 22 को पत्र लिखा था**

श्री टीका राम जूली के पत्र का जबाब:-

(A) (i) जिसके जबाब में **19** दिसम्बर **22** को समाजिक न्याय एव अधिकारिता विभाग जयपुर ने अपने पत्र में कहा है कि कुछ जिलो से यह रिपोर्ट प्राप्त की हुई है कि धानका एव धाणका एक ही जाति है क्योंकि बोल चाल की भाषा में दोनों नाम से इस जाति को जाना जाता है परन्तु जिला कलेक्टरों की उक्त रिपोर्ट केवल कुछ स्थानीय जनप्रतिनिधियों के मौखिक कथन के आधार पर पर ही प्रेषित की गई है**.** इस सम्बन्ध में कोई लिखित साक्ष्यों व सबूत राजस्व रिकॉर्ड साहित्यक रिकॉर्ड या अन्य कोई सग्रहालयी रिपोर्ट व अध्ययन रिपोर्ट सग्लंन कर रिपोर्ट नहीं भिजवायी है**.**

(ii) मात्र मौखिक कथन के आधार पर जाति या समुदाय के ध्वन्यात्मक समानता **(Phonetic Similarty)** के होने पर एक ही वर्ग अनुसूचित जनजाति का प्रमाण

पत्र जारी किया जाना उचित नहीं है**.** इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा जाति प्रमाण पत्र जारी करने वाले सक्ष्म प्राधिकारियों के लिये बर्ष **2017** में एक पत्र जारी किया गया है**.**

(iii) वर्तमान में राज्य में सक्षम अधिकारियों द्वारा धाणका **(DHANKA)** जाति नाम से जाति प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है एवम राज्य के सम्बधित पोर्टल पर भारत सरकार द्वारा जारी उपरोक्त गजट नोटिफिकेशन के अनुसार जो जाति जिस जाति नाम से हिन्दी एव अग्रेजी में दर्ज है उस जाति को उसी जाति नाम से अनुरूप पोर्टल पर अपलोड किया गया है**.**

अत**:** उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में धानका जाति के व्यक्तियों को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा सकता**.**

(पत्र संख्या –2) **धानका जनजाति समाज समिति दिल्ली ने श्री हर्ष चौहान , राष्ट्रीय जनजाति आयोग के चैयरमैन को 06 अक्टूबर को समिति ने पत्र लिखा था.**

श्री हर्ष चौहान के पत्र का जबाब :-

(A) जिसके जबाब में आयोग ने प्रमुख सचिव श्रीमती उषा शर्मा को **17** नवम्बर **22** को नोटिस भेजा है**,** नोटिस श्री **Shri H R Meena, Research Officer** द्वारा जारी किया गया कि इस मामले की जाच करके एक महिने में हमारे पास भेजी जाये**.**

(B) दिनांक **17** नवम्बर **2022** को समिति ने **Sh H R Meena ko latter** लिखकर जबाब मांगा है कि धानका जनजाति समाज समिति के पत्र के संर्दभ में आपके कार्यालय द्वारा दिनांक **17** नवम्बर **2022** को जो पत्र प्रमुख सचिव राजस्थान को लिखा था उसका अभी तक कोई जबाब प्राप्त नहीं हुआ है आपसे निवेदन है कि इस संर्दभ में आपके कार्यालय से कार्यवाही की गई हो या जयपुर सचिव से कोई भी पत्र प्राप्त किया गया है तो उसकी एक कापी उपलब्ध कराये**.**

दिनांक **17.11.2022** को **Sh HR Meena** द्वारा मुख्य सचिव को दिये गये ज्ञापन का जबाब**,** मुख्य सचिव राजस्थान द्वारा इस प्रकार से है**.**

दिनांक 15 फरवरी 2023 को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (H R Meena) के जबाब में मुख्य सचिव राजस्थान कार्यालय से दिनांक 30.22.22 का पत्र सग्लंन है

(i) जिसके जबाब में **19** दिसम्बर **22** को समाजिक न्याय एव अधिकारिता विभाग जयपुर ने अपने पत्र में कहा है कि कुछ जिलो से यह रिपोर्ट प्राप्त की हुई है कि धानका

एव धाणका एक ही जाति है क्योंकि बोल चाल की भाषा में दोनों नाम से इस जाति को जाना जाता है परन्तु जिला कलेक्टरों की उक्त रिपोर्ट केवल कुछ स्थानीय जनप्रतिनिधियों के मौखिक कथन के आधार पर पर ही प्रेषित की गई है. इस सम्बन्ध में कोई लिखित साक्ष्यों व सबूत राजस्व रिकॉर्ड साहित्यक रिकॉर्ड या अन्य कोई सग्रहालयी रिपोर्ट व अध्ययन रिपोर्ट सग्लंन कर रिपोर्ट नहीं भिजवायी है.

(ii) मात्र मौखिक कथन के आधार पर जाति या समुदाय के ध्वन्यात्मक समानता **(Phonetic Similarty)** के होने पर एक ही वर्ग अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी किया जाना उचित नहीं है. इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा जाति प्रमाण पत्र जारी करने वाले सक्ष्म प्राधिकारियों के लिये बर्ष **2017** में एक पत्र जारी किया गया है.

(iii) वर्तमान में राज्य में सक्षम अधिकारियों द्वारा धाणका **(DHANKA)** जाति नाम से जाति प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है एवम राज्य के सम्बधित पोर्टल पर भारत सरकार द्वारा जारी उपरोक्त गजट नोटिफिकेशन के अनुसार जो जाति जिस जाति नाम से हिन्दी एव अग्रेजी में दर्ज है उस जाति को उसी जाति नाम से अनुरूप पोर्टल पर अपलोड किया गया है.

अतः उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में धानका जाति के व्यक्तियों को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा सकता.

(पत्र संख्या –3) **धानका जनजाति समाज समिति दिल्ली ने प्रशासन सचिव, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग जयपुर को दिनांक 27 जून 2022, 06 अक्टूबर 2022 व 11 नवम्बर 2022 को पत्र लिखा.**

प्रशासन सचिव, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग जयपुर का जबाब

(A) जबाब में सामाजिक न्याय व अधिकारिता **(**सूची संशोधन विभाग**)** जयपुर ने दिनांक **06** जनवरी **2023** जनजाति कार्य मंत्रालय को प्रार्थी का पत्र अग्रसारित करते का निदेश हुआ है**,** भारत सरकार **(** कार्य आवंटन**)** अधिनियम **1961 (**समय समय पर संशोधित**)** के अनुसार अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित कार्य जनजातीय मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है.

(B) दिनांक **16** फरवरी **2023** को जनजाति कार्य मंत्रालय में श्री मनोज बापना जी निदेशक व अनुभाग अधिकारी से मुलाकात की**,** सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग राजस्थान ने **06** जनवरी **2023** को उप सचिव श्री मनोज बापना को पत्र लिखा था उसके संर्दभ में**,** वार्तालाप करने पर जनजातीय मंत्रालय के अधिकारियों ने हमे विशवास दिलाया गया कि हम राजस्थान सरकार को पत्र लिखेंगे कि आपके धानका जाति के बने हुए जाति प्रमाण पत्र मान्य होगे उनमें कोई बदलाव नहीं होगा. व धानका को शामिल कराने के लिए राजस्थान सरकार को लिखगे. धानका नाम को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए राजस्थान सरकार

को प्रस्ताव भेजना होगा उसी के आधार पर धानका को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जा सकता है.

(पत्र संख्या –4) **धानका जनजाति समाज समिति दिल्ली ने मई 2022 को मुख्य सचिव राजस्थान को प्रत्र लिखा है जिसमें जनजाति कार्य मंत्रालय के पत्र फरवरी 2020 व मार्च 2022 के बारे में सष्टीकरण मागा गया, विभाग ने मामले को Under Progress बताया है.**

(पत्र संख्या - 5) **दिनांक 07 फरवरी 2023 को श्री अजगर अली, अवर सचिव जनजाति कार्य मंत्रालय से मिले** व फरवरी **2020** व मार्च **2020** के पत्र के बारे में वार्तालाप की, अवर सचिव ने बताया कि हम किसी सरकार पर बार बार दबाव नहीं बना सकते, हमने राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव को तीन बार पत्र लिखा है लेकिन राजस्थान सरकार से कोई जबाब नही आया. अजगर अली सहाब को धानका समाज के साथ होने वाली तकलीफों से अवगत कराने पर, अवर सचिव ने कहा कि आप एक पत्र दुबारा से दे दे ताकि हम राजस्थान सरकार को **storngling** पत्र लिख देगे. ओर हमने उसी समय अजगर अली जी को पत्र दिया तो उन्होंने हमे विशवास दिलाया कि हम राजस्थान सरकार को **15 - 20** दिन में पत्र आवश्यक लिख देगे.

(पत्र संख्या –6) **श्री अजगर अली अवर सचिव जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा दिनांक 21-02- 2023 को राजस्थान के मुख्य सचिव जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग को एक पत्र लिखा गया जिसमें**

भारत के संविधान के अनुच्छेद **342** के तहत अनुसूचित जनजाति के रूप में संचार के विनिर्देशन के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय एक नोडल मंत्रालय है। हालांकि, अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने और सामाजिक स्थिति के सत्यापन की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार/ **UT** अंडर टेरेटरी एडमिनिस्ट्रेशन की होती है।

भारत सरकार ने **15.06.99** को और **25.06.2002** को आगे संशोधन करके अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की सूचियों को निर्दिष्ट करने वाले आदेशों में शामिल करने, इससे बाहर करने और अन्य संशोधन के लिए दावों के निर्धारण के तौर-तरीके निर्धारित किए हैं। इन तौर-तरीकों के अनुसार, कानून में संशोधन के लिए केवल उन्हीं प्रस्तावों पर विचार किया जाना है, जिन पर भारत के महारजिस्ट्रार **(RGI)** और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग **(NCST)** की सहमति है। इन स्वीकृत तौर-तरीकों के अनुसार सभी कार्रवाई की जाती है।

राजस्थान की अनुसूचित जनजाति सूची में धानका समुदाय को शामिल करने के संबंध में जनजातीय मामलों के मंत्रालय में कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है। मौजूदा तौर-तरीकों के अनुसार,

राज्य की अनुसूचित जनजाति की सूची में किसी समुदाय को शामिल करने के प्रस्ताव के प्रसंस्करण के लिए संबंधित राज्य सरकार की सिफारिश पूर्व-अपेक्षित है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, जैसा उचित समझा जाए, आगे की कार्रवाई के लिए उल्लिखित संचार/अभ्यावेदन यहां अग्रेषित किए जाते हैं।

(पत्र संख्या -7) समिति ने मार्च, 17 जून 22 को जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग उदयपुर को पत्र लिखा

(A) जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग उदयपुर को पत्र लिखा कि आपने आपके विभाग द्वारा वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन **2019-20** की पुस्तिका के पेज नंबर **15** पर अनुसूचित जनजाति की तालिका में धानका की जगह धनका लिख दिया है**.** कृपया आप इस पुस्तिका में इसका शुद्धी करण करकें धनका की जगह धानका लिखकर प्रकाशित करे. सम्बंधित विभाग से लम्बे पत्राचार के दौरान**,** विभाग ने आपने पत्र संख्या **1(ए)) (51)** वा प्रशा प्रति **2019-20 / 27910 -16** दिनांक **26.08.2022** द्वारा अपनी पुस्तक में धनका की जगह धानका का **Amendment Latter (** शुद्धी पत्र**)** जारी कर दिया है**.** इस विभाग द्वारा वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन **2019-20** की पुस्तिका के पेज नंबर **15** पर अनुसूचित जनजाति की तालिका में धनका की जगह धानका पढा जाये ।

(पत्र संख्या -8) जुलाई / अगस्त **2022** को समिति ने **RTI** के द्वारा वर्ष **2011** की प्रेत्यक जिले व जाति सहित जनता रिपोर्ट मागी गई**.** रिपोर्ट आने के बाद देखने से पता चला कि हिन्दी में राजस्थान के सभी जिलों में हमारा नाम गलत लिखा हुआ है**.** हमारे नाम को धानका की जगह धनका लिखा हुआ है जबकि अग्रेजी में **DHANKA** सही लिखा है

(पत्र संख्या -9) समिति ने वर्ष 2011 की जनगणना रिपोर्ट के आधार पर दिनांक **19** जनवरी **2023** को राजस्थान के जनगणना विभाग को पत्र लिखकर अवगत कराया कि राजस्थान में वर्ष **2011** की जनगणना रिपोर्ट में धानका के स्थान पर धनका लिखा हुआ है जबकि अग्रेजी **(DHANKA)** में ठीक लिखा हुआ है अतः आप से अनुरोध है कि आप धनका की जगह धानका अपलोड करने की कृपा करें**.** कापी महा रजिस्ट्रार मुख्य कार्यालय व जनगणना मंत्रालय दिल्ली को लिखा है**.**

जनगणना विभाग जयपुर का जबाब

जनगणना विभाग जयपुर ने अग्रिम कार्यवाही के लिए महा रजिस्ट्रार मुख्य कार्यालय दिल्ली को दिनांक 15 फरवरी 2023 को भेज दिया है जोकि इस प्रकार है

1. धानका जनजाति समाज समिति**,** दिल्ली द्वारा अनुसूचित जनजाति आदेश **(**संशोधन**)** अधिनियम**,** **1976** को ध्यान में रखते हुए जनगणना पोर्टल पर सारणी **- 11 (**परिशिष्ट**)** में जनजाति **"**धनका**"** के स्थान पर **"**धानका **-** धाणका**"** दोनों को अपलोड करने का निवेदन किया हैं।

2. भारत का राजपत्र अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश **(**संशोधन**)** अधिनियम**,** **1976** के भाग **13** के बिंदु में **4** पर जनजाति **"**धाणका**"** वर्णित है। वर्तमान में भारत की जनगणना की वेब साइट पर उक्त सारणी अनुपलब्ध है।

3. **09 अप्रैल** **2023 Reminder लिखकर को महा रजिस्ट्रार आफिस मुख्य कार्यालय दिल्ली को अवगत कराया गया** कि उपरोक्त विषय के लिए प्रार्थी द्वारा अनुरोध पत्र दिनांक **15** फरवरी 2023 को डाक द्वारा आपके कार्यालय को भेजा गया लेकिन दिनांक **15** फरवरी 2023 से आज तक ना तो प्रार्थी को कोई सन्तोषजनक जबाब मिला है

4. **दिनांक 15 फरवरी 2024 को महारजिस्टार के कार्यालय के पत्र द्वारा बताया गया है** आप अपने **19.01.2023** के संदर्भ में सभी पत्र की छाया प्रति इस कार्यालय को दूबारा से भेजने की कृपा करें ताकि इस कार्यालय द्वारा उचित कार्रवाई की जा सके।

5. **धानका जनजाति समाज समिति ने दिनांक 30 मार्च 2024 को दूबारा से पत्र लिखकर** व सभी पत्रों की छाया प्रति सग्लन करके संयुक्त निदेशक **(**जनगणना प्रभाग**)** महारजिस्टार जनगणना आयुक्त को भेज दिया है।

6. **समिति ने एक महीने के अन्तराल के बाद दिनांक 05 जून 2024 को** पहला अनुस्मारक **(Reminder -I)** जनगणना आयुक्त को भेजा है लेकिन अभी तक कोई जबाब नहीं आया है अगला **Reminder 20** जून को दिया जायेगा ।

(पत्र संख्या -10) **दिनांक 17 Nov 2022 को राजस्थान सरकार के सयुंक्त सचिव को पत्र लिखकर अवगत कराया** कि भारत में कई ऐसी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियाँ की जातियाँ हिन्दी में प्रकाशित नामों की वजह से भाषा के उच्चारणगत विभेद के कारण कई जातियों के जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं हो पा रहे हैं**.** जिसकी वजह से काफी कठिनाइयों हो रही है**.** जिसकी वजह से उस जाति / समुदाय का सही मायने में विकास नहीं हो पा रहा है**.**

राजस्थान में धानका जाति का राजस्थान सरकार के सभी कार्यालय / विभागों में हिन्दी में प्रकाशित होने के कारण राजस्थान सरकार के सरकारी विभागों में इस जाति को कही पर धानका कह कर सम्बौधित किया जाता है तो कहीं पर धाणका कहकर सम्बौधित किया जाता है**.** जिसके कारण धानका जाति को काफी कठनाईयो का सामना करना पड़ता है और जाति प्रमाण पत्र जारी कठिनाइयों हो रही है**.** **1963** के हिन्दी भाषा अधिनियम**,** भारत के सविधान

के अनुच्छेद **348 (1)** में सपष्ट किया गया है कि भारत सरकार द्वारा जारी किसी भी प्रकार के आदेश**,** नियम**,** विनयम का अग्रेजी संस्करण होना चाहिए तथा संसद**,** मत्रालय**,** न्यायालय में सभी आदेशो को अग्रेजी में ही मान्य होगे**.** इसलिये राजस्थान में धानका धाणका के स्थान पर अग्रेजी में **DHANKA** के जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाने के बारे में आवेदन पत्र**.**

12 फरवरी **2023 Reminder** लिखकर को माननीय सयुंक्त सचिव को अवगत कराया गया कि उपरोक्त विषय के लिए प्रार्थी द्वारा अनुरोध पत्र दिनांक **17 Nov 2022** को डाक द्वारा आपके कार्यालय को भेजा गया लेकिन दिनांक **17 Nov 2022** से आज तक ना तो प्रार्थी को कोई सन्तोषजनक जबाब मिला है

महोदय जी उपरोक्त पत्र में उल्लेखित समस्या किसी एक व्यक्ति विशेष की ना होकर एक समुदाय की है जोकि भारत सरकार के अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति आदेश **1976** के अनुसार राजस्थान में धानका जाति भाग**- XIII,** क्रमांक**-4** में अनुसूचित जनजाति में आती है**.**
महोदय जी आपके निवेदन है कि उपरोक्त विषय पर क्या कार्यवाई की गई की**,** उसकी एक कापी शीघ्र भेजने की कृपा करें**.**

(पत्र संख्या -11) **धानका विकास बोर्ड** **-** दिनांक **19** जनवरी **2023** को राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर अवगत कराया की आपकी सरकार द्वारा कई समाजों के विकास बोर्ड बनाये गये हैं व कई समाजों के नये विकास बोड बनाये जा रहे हैं**.** हमारी धानका समाज माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करती है कि आप धानका समाज का भी एक धानका विकास बोर्ड बनाने की कृपा करें जिससे धानका समाज को भी आपकी योजनाओं का फायदा मिल सकें**.** इसके लिए धानका समाज आपका हमेशा आभारी रहेगा**.** राजस्थान में धानका समाज लाखों की सख्या में निवास करती है ओर आपको ही हमेशा वोट देती आ रही है**.** धानका समाज हमेशा काग्रेस का वोट बैंक रहा है**.**

(पत्र संख्या -12) दिनांक **16** फरवरी **2023** को श्री अर्जुन राम मेघवाल से मिलने का अवसर मिला जिसमें बुला राम धानका, बाबू लाल मावर**,** मिटिग में श्री अर्जुन राम मेघवाल को धानका समाज की समस्याओं से अवगत कराया ओर ज्ञापन दिया। श्री मेघवाल जी ने हमे विश्वास दिलाया कि इस पत्र पर जल्दी ही कार्यवाही की जायेगी। **27** फरवरी **2023** को श्री मेघवाल जी
के निजी सचिव श्री तेजा राम जी से मिले ओर श्री मेघवाल जी के द्वारा श्री विरेंद्र कुमार जी मंत्री**,** सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय को लिखे पत्र की कापी प्राप्त की**.** श्री अर्जुन मेघवाल जी ने लिखा है कि राजस्थान में धानका समाज एक आदिवासी समाज है व धानका**-** धाणका एक ही जाति है जोकि अग्रेजी में दोनों को **DHANKA** ही लिखा जाता है।

(पत्र संख्या- 13) **दिनांक 09 मार्च 2023 को श्री मंहन्त बालक नाथ से मिलने** का अवसर मिला, श्री मंहन्त बालक नाथ को धानका समाज की समस्याओं से अवगत कराया ओर ज्ञापन दिया।

(पत्र संख्या- 14) **दिनांक 10 मार्च 2023 को श्री ओम बिरला जी, स्पीकर लोकसभा से** मिलने का अवसर मिला, मिटिग में श्री श्री ओम बिरला जी को धानका समाज की समस्याओं से अवगत कराया ओर ज्ञापन दिया। दिनांक 27 मार्च 2023 को श्री ओम बिरला जी के निजी सचिव ने बताया कि आपका पत्र दिनांक 24 मार्च 2023 को श्री विरेंद्र कुमार जी मंत्री, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय को लिखे पत्र को भेज दिया गया है।

(पत्र संख्या- 15) **दिनांक 07 जुलाई 2022 को श्री अनिल कुमार झा , सचिव,जनजातीय कार्य मंत्रालय को पत्र लिखकर अवगत कराया जिसमें 09.08.2019 का पत्र तुरंत वापस ले तथा धानका - धाणका जाति के जाति प्रमाण पत्र जल्दी ही जारी किये जाये**

(पत्र संख्या- 16) **दिनांक 19 जनवरी 2023 को सुश्री आर जया, अपर सचिव, जनजातीय मामला मंत्रालय को पत्र लिखकर अवगत कराया जिसमें 09.08.2019 का पत्र तुरंत वापस ले तथा धानका - धाणका जाति के जाति प्रमाण पत्र जल्दी ही जारी किये जाये**

(पत्र संख्या- 17) **09.08.2019 के पत्र का जब कोई समाधान नहीं हो रहा है।**

(1) भारत सरकार व राजस्थान सरकार इस मामले को एक दूसरे के पाले में डाल रहीं हैं **,** लेकिन समिति हिम्मत नहीं हारी लगातार मंत्रालय के उच्च अधिकारियों से मिलने का प्रयास कर रही है ओर इसी श्रृंखला में दिनांक **18** जुलाई **2023** को हमें अनुसूचित जनजाति जनजातीय आयोग की सचिव श्रीमती अल्का तिवारी से मिलने का अवसर मिला जिसमें बुला राम धानका संघरक्षक**,** बाबू लाल मावर**,** अध्यक्ष**,** सन्त राम धानका मोहन लाल लुगरिया अध्यक्ष शेखावाटी **32** दिल्ली**,** सुरेश कुमार सौलकी**,** मिटिग में श्रीमती अल्का तिवारी को धानका समाज की समस्याओं से अवगत कराया ओर ज्ञापन दिया। सचिव महोदया ने हमे विश्वास दिलाया कि इस पत्र पर जल्दी ही कार्यवाही की जायेगी।

2. जनजाति आयोग **NCST** ने दिनांक **25** जुलाई **2023** को सचिव जनजातीय मंत्रालय **Tribal Ministry** को पत्र लिखकर बताया कि यह मामला जनजातीय कार्य मंत्रालय से सम्बंधित है इस सम्बन्ध में किया जाने वाली कार्यवाही से अभ्यावेदक ओर आयोग को अवगत कराने का कष्ट करें।

1. समिति ने जनजाति आयोग को **04** अक्टूबर **2023**को **Reminder** दिया जिसके जबाब में जनजाति आयोग ने **10** जनवरी **2024** को सचिव जनजातीय मंत्रालय को **Reminder** भेज दिया।

2. समिति ने **30** मार्च **2024** को सचिव जनजातीय मंत्रालय **Ministry of Tribal** को **Reminder** दिया व कापी जनजाति आयोग को भेजी।

3. **20** जून **2024** को जनजातीय मंत्रालय के **Under Secretary** द्वारा हमारा पत्र प्रमुख सचिव**,** जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग जयपुर राजस्थान को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दिया है।

(पत्र संख्या- 18) **दिनांक 19 अगस्त 2023 को श्री नब कुमार सरानिया, सांसद, लोकसभा सदस्य** से धानका जनजाति समाज समिति दिल्ली व धानका जनजाति संघर्ष समिति जयपुर दिल्ली से बुला राम धानका**,** बाबू लाल मावर**,** मनोहर लाल मावर**,** रमेश मोरवाल**,** रनजीत डाबला**,** सन्त राम धानका**,** मोहन लाल लुगरिया**,** सुरेश कुमार सौलकी व जयपुर से राम नारायण धानका**,** जगदीश लुगरिया**,** रमेश खाण्डे**,** मिलकर धानका समाज में हो रही समस्याओं से अवगत कराया ओर ज्ञापन दिया।

(पत्र संख्या- 19) **साथियों जैसा कि आप सभी को पता है कि दिनांक 24 - 25 जून 2024 वाट्सअप पर राजस्थान पत्रिका की न्यूज़ कटिग डाली थी ।**

यह कटिंग दिनांक **22** जून **2024** राजस्थान पत्रिका की थी जिसके पेज नम्बर **11** पर लिखा था कि राजस्थान सरकार ने शुक्रवार को राजस्थान जनजाति परामर्शदात्री परिषद में **15** सदस्यों को मनोनयन किया गया है जिसमें धानका जाति को छोड़ कर बाकी मीना भील तेली जाति के लोगों को शामिल किया गया है।

इसी क्रम में धानका जनजाति समाज समिति दिल्ली ने **दिनांक 26 जून 2024 को**

1. श्री भजन लाल शर्मा, मुख्यमंत्री
2. अविनाश गहलोत, मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर
3. बाबू लाल खराडी, मंत्री जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग
4. प्रमुख सचिव जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग

को पत्र लिखकर अवगत कराया कि धानका जाति राजस्थान की मूल जनजाति है ओर यह अनुसूचित जनजाति में आती है। राजस्थान में धानका जाति को राजस्थान सरकार द्वारा आरक्षण का फायदा मिल रहा है इसलिए धानका समाज के लोगौ को भी राजस्थान जनजाति परामर्शदात्री परिषद में शामिल करने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी।

(पत्र संख्या- 20 - 37) समिति ने सांसदों को पत्र

धानका जनजाति समाज समिति ने निर्णय लिया कि फरवरी 2023 से लोक सभा सेस्शन शुरू होने वाला है लोकसभा के सभी सांसदों को पत्र लिखकर अवगत कराया जाए कि राजस्थान सरकार अपने **9.8.2019** के पत्र जारी करने के बाद धानका समाज के जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं किये जा रहे हैं। जिसके कारण हमारे समाज को कापी कठनाईयो का सामना करना पड रहा है। इसी श्रृंखला में समिति ने राजस्थान के **25** के **25** सांसदों को पत्र देने का फैसला लिया लेकिन **18** सांसदों को ही पत्र दे पाये क्योंकि संसद खत्म होने के कारण ज्यादातर सांसद अपने अपने क्षेत्र में चले गए थे।

S No	Date	Name	Place
1.	06.02.2023	श्री कनकमल कटारा	डुगरपुर
2.	06.02.2023	श्री राहुल कासवान	चुरू
3.	06.02.2023	श्री गजेंद्र सिंह शेखा	जोधपुर
4.	06.02.2023	श्री देव जी पटेल	जालौर
5.	07.02.2023 16.02,2023	श्री अर्जुन राम मेघवाल	बीकानेर
6.	07.02.2023	श्री नरेन्द्र कुमार	झुझुनू
7.	07.02.2023	श्री सुमेधा नन्द सरस्वती	सीकर
8.	08.02.2023	श्री कैलाश चौधरी	बाड़मेर
9.	08.02.2023	श्री ओम बिरला, स्पीकर	कोटा
10.	08.02.2023	Sh Rajya Vardhane	जयपुर
11.	09.02.2023	श्री मंहन्त बालक नाथ	अलवर
12.	09.08.2023	श्रीमती रंजीता कोहली	Bharatpur
13.	09.02.2023	श्री रामचरन वोहरा	जयपुर
14.	09.02.2023	श्री सुभाष चन्द्र बेहरिया	भीलवाड़ा
15.	14.04.2023	श्रीमती रंजीता कोली	भरतपुर
16.	14.04.2023	श्री भागीरथ चौधरी	अजमेर
17.	15.04.2023	श्री चन्द्र प्रकाश जोशी	चितौड़गढ़
18.	15.04.2023	श्री दुष्यंत सिंह	झालावाड़